[2019] 13 एस. सी. आर. 1006

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन। महान मुंबई का

वी.

बॉम्बे के हरीश लाम्बा,

भारतीय अभेद्य और हमारा।

(2009 की सिविल अपील सं. 142)

अक्टूबर 22,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888:

एसएस। 139 , 140 , 141 और 169-जल कर और जल लाभ कर-बकाया की मांग-इस आधार पर भुगतान न करना कि पानी

आपूर्ति काट दी गई थी-कुर्की का वारंट रिट याचिका उच्च न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया कि कर केवल उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति और खपत किए गए पानी के संबंध में लगाया जा सकता है-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः एस. एस. के संदर्भ में जल कर या जल लाभ कर संपत्ति कर के घटकों में से एक है। 139 , 140 और 141-इस तरह के कर का भुगतान करने की देयता पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर के विच्छेदन के बावजूद उत्पन्न होती है, जो एक अनिवार्य अधिरोपण है-इस तरह का शुल्क एस के लिए निर्धारित जल शुल्क से अलग है। 169 द.

माँग पर भी कोई सीमा नहीं है-प्रत्यर्थी इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जल कर और जल लाभ कर और जल शुल्क की अवधारणा गुणात्मक रूप से अलग है। अपने हिसाब से

1888 , उप-धारा 1 (ए) (आई) और (आई) में। धारा 141 निर्धारित संबंधित जल कर और जल लाभ कर लगाने की अनुमति देती है। परिसर। जल लाभ कर का निर्धारण, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट परिसर के दर योग्य मूल्य या उसके पूंजी मूल्य के निर्धारित प्रतिशत पर किया जाता है। हालाँकि, जल लाभ कर की वसूली को संपत्ति कर होने के कारण अधिनियम की धारा 169 के अधीन कर दिया गया है। [पैरा 18] [1017-जी; 1019-एफ; 1020-डी]

1.2 धारा 169 एक सक्षम प्रावधान है जो सशक्त बनाता है।

स्थायी समिति पानी की आपूर्ति के लिए नियम बनाएगी और

पानी की आपूर्ति और निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी फिटिंग, फिक्स्चर या सेवाओं के लिए शुल्क। इस तरह के शुल्क किस हद तक लगाए जा सकते हैं, इसका वर्णन धारा 169 में किया गया है।

निर्माण और सुधार के लिए पूंजीगत कार्यों पर किए गए या किए जाने वाले पूरे या आंशिक व्यय को पूरा करने के साथ जल आपूर्ति की सुविधाएँ और अधिनियम की धारा 140 और 141 के संदर्भ में ऐसे कार्यों के रखरखाव और संचालन के लिए, जैसा भी मामला हो। संपत्ति कर के लिए लेवी अधिनियम की धारा 140 और 141 के साथ पठित धारा 139 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर फलीभूत होती है। इस तरह के लेवी की सीमा अधिनियम की धारा 140 और 141 में भी निर्धारित की गई है। यह एक अनिवार्य अधिरोपण है।

[पैरा 19] [1021-सी-ई]

1.3 यदि यह एक अनिवार्य अधिरोपण है, तो तथ्य यह है कि पानी का उपयोग वास्तव में रहने वालों या भवन के मालिकों द्वारा किया जाता है।

महत्वहीन हो जाता है। जल कर या जल लाभ कर, कानून में, एक संपत्ति कर है और विधायिका द्वारा संपत्ति कर के घटक के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे ही परिसर का मालिक/निवासी निर्धारित तरीके से अपने परिसर में पानी के कनेक्शन का लाभ उठाने की स्थिति में होता है, वह देय हो जाता है। अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में वह दायित्व अपरिहार्य है, भले ही पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर को बाद में काट दिया जाए। [पैरा 20] [1021-एफ-एच]

1.4 हालांकि, पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर को काटने के मामले में निगम पानी के शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है।

अधिनियम की धारा 169। कारण, वास्तव में आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के अनुरूप जल शुल्क की वसूली की जा सकती है और

1.5 अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए मांग नोटिसों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि मांग संपत्ति के लिए है। जल लाभ कर और सीवरेज लाभ कर के रूप में कर। यह अधिनियम की धारा 169 के अनुसार जल शुल्क के भुगतान के लिए कोई सूचना नहीं है। [पैरा 17] [1017-एफ] [2019] 13 एस. सी. आर.

1.6 उच्च न्यायालय ने विवादित मांग नोटिसों को अधिनियम की धारा 169 के तहत होने के रूप में गलत पढ़ा, जब वास्तव में वही

जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर की वसूली के लिए थे

अधिनियम की धारा 140 और 141 के साथ पठित धारा 139 के तहत। इस तरह के कर का भुगतान करने का दायित्व पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर के विच्छेद के बावजूद उत्पन्न होता है, जिसमें करों का भुगतान न करना भी शामिल है, जो एक अनिवार्य अधिरोपण है। तथापि, यदि स्वामी /

परिसर के अधिभोगियों को संचार पाइपों या नगरपालिका जल कार्यों के माध्यम से कनेक्शन के माध्यम से परिसर में उपलब्ध कराई गई जल आपूर्ति सुविधा का उपयोग करना था, जैसा भी मामला हो, दायित्व केवल पानी की मात्रा के आधार पर केवल पानी शुल्क का भुगतान करना होगा, वास्तव में जल कर के रूप में संपत्ति कर या धारा 169 के आधार पर जल लाभ कर के बदले में।

अधिनियम की और विशेष रूप से उसकी उप-धारा (2)। [पैरा 24] [1024 डी-एफ]

बृहन्मुंबई नगर निगम बनाम एम/एस। नागपाल प्रिंटिंग मिल्स एंड अदर (1988) 2 एस. सी. सी. 466:

[1988] 3 एससीआर 274-प्रतिष्ठित।

9 जनवरी, 1994 तक। यह अवधि आधिकारिक वर्ष 1993 के भीतर आती है। 94 (1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक)। इस मायने में, संपत्ति कर की राशि देय हो गई थी और उस पर देय थी।

आधिकारिक वर्ष 1993-94 अर्थात 31 मार्च, 1994 का समापन। इसलिए तीन साल की सीमा अवधि 30 तारीख को समाप्त हो जाती। मार्च, 1997। हालाँकि, विवादित मांग नोटिस 10 जनवरी, 1997 को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विवादित मांग नोटिस (ओं) को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने की चुनौती गुण-दोष से रहित है। विचाराधीन याचिका को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में कोई अन्य दावा नहीं पाया गया है। नतीजतन, विवादित मांग नोटिस (ओं) को सीमित करने या पूर्वव्यापी कर मांग के प्रभाव से रोकने की चुनौती को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 26] [1025-डी-जी]

कल्याण नगर परिषद और अन्य बनाम। उषा पेपर

उत्पाद (पी) लिमिटेड और एक अन्य (1988) 3 एस. सी. सी. 305: [1988] 3 एस. सी. आर. 832; हुबली नगर निगम बनाम। सुभा राव हनुमथाराव प्रयाग और अन्य म्यूनिसिपल कार्पोरेशन।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लैम्बा, भारतीय अभेद्य

(1976) 4 एससीसी 830: [1976] 3 एससीआर 883-आयोजित

अप्रयोज्य। सुमेर बिल्डर्स बनाम। ग्रेटर का नगर निगम

मुंबई 2012 (114) BOM। एल. आर. 3400; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

भारत बनाम. बृहन्मुंबई नगर निगम

ग्रेटर बॉम्बे और अन्य 2004 (4) Mh.L.J. 773

—

संदर्भित किया गया।

3.1 उत्तरदाताओं को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है

उच्च न्यायालय के समक्ष और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष सद्भावना से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में उनके द्वारा बिताई गई अवधि के लिए वैधानिक ब्याज का भुगतान करना। इस प्रकार खर्च किया गया समय भुगतान करने में उत्तरदाताओं की निष्क्रियता या उपेक्षा के कारण नहीं है;

विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तरदाताओं के पक्ष में काम करने वाले अंतरिम आदेशों के कारण और यह भी कि विवादित मांग नोटिस निर्धारित किए गए थे उच्च न्यायालय द्वारा एक तरफ। [पैरा 27] [1025-एच; 1026-ए-बी]

3.2 ब्याज की मात्रा निर्धारित करना उचित होगा।

यथास्थिति, रिट याचिका और वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान की अवधि के लिए बकाया मूल कर राशि या मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित वैधानिक ब्याज पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटक, जो भी कम हो। बाकी डिफ़ॉल्ट अवधि के लिए, मांग नोटिस की तारीख से बकाया राशि के भुगतान तक

उसमें उल्लिखित राशि, उत्तरदाता मौजूदा विनियमों में निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इस संबंध में लागू। यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। [पैरा 27] [1026-सी-डी]

राजस्थान राज्य और एक अन्य v. जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड

और दूसरा (2011) 12 एस. सी. सी. 518: [2011] 10 एससीआर 993;

कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (1997) 5 एस. सी. सी.

772 : [1997] 2 एस. सी. आर. 844-निर्भर।

3.3 विवादित मांग नोटिस 10 तारीख को जारी किए गए थे।

जनवरी, 1997, जब मूल कर राशि देय और तुरंत देय हो गई थी। इसलिए वैधानिक दर पर ब्याज,

उस तारीख से शुरू होगा। हालांकि, इस अवधि के लिए

21 अप्रैल, 1999 को रिट याचिका दायर करने की तारीख से 21 नवंबर, 2006 के उच्च न्यायालय के फैसले तक, ब्याज को वनाच्छादित माना जाए। इसी तरह, 27 तारीख से इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने की अवधि के लिए अगस्त, 2007 से इस फैसले की घोषणा तक। इन दो अवधियों को छोड़कर, विलंबित भुगतान के लिए उत्तरदाताओं द्वारा देय ब्याज की दर शासी विनियमों में निर्धारित के अनुसार होगी। [पैरा 28] [1026-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

[1988] 3 एससीआर 274

प्रतिष्ठित

पै

रा 6

2012 (114) बीओएम। एल. आर. 3400 संदर्भित

पै

रा 9

अप्रयोज्य रखा गया

[1988] 3 एससीआर 832

पै

रा 10

[1976] 3 एससीआर 883

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 10

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

2004 (4) Mh.L.J. 773

[2011] 10 एससीआर 993

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[1997] 2 एससीआर 844

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 142 में से

2009 .

उच्च न्यायालय के 21.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1999 की रिट याचिका संख्या 1206 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

अतुल वाई. चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री तन्वी काकर, श्रीमती सुचित्रा अतुल

चिताले, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अनिरुद्ध जोशी, सुश्री वंदना सहगल, मनदीप सिंह आनंद,

प्रवीण कुमार राय, हेमल किरीटकुमार सेठ (एम/एस के लिए। जे एस वाड एंड कंपनी), आशीष वाड, श्रीमती जयश्री वाड, सिद्धार्थ महाजन, सुश्री सुकृति जग्गी (मेसर्स के लिए। वकील एस निट एंड कंपनी), अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश को अपवाद मानती है।

211999 की रिट याचिका संख्या 1206 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के नवंबर, 2006, जिसके तहत अपीलकर्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बिल/मांग उठाई गई थी।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जल लाभ कर और प्रत्यर्थियों से संबंधित परिसरों के संबंध में कुर्की के वारंट को रद्द कर दिया गया और अवैध होने के कारण अलग कर दिया गया।

2. अपीलार्थी मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (संक्षेप में, "1888 अधिनियम") के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है।

या "अधिनियम") और प्रत्यर्थी संख्या 1 व्यवसाय में एकमात्र स्वामी है, जिसे उसके द्वारा वोल्गा फ्रोजन फूड्स एंड आइसक्रीम कंपनी के नाम और शैली में चलाया गया था, जिसे इसके बाद "कहा गया" के रूप में संदर्भित किया गया है। दृढ़ "। कहा गया व्यवसाय वोल्गा हाउस, 1-सी, के. के. मार्ग, महालक्ष्मी, बॉम्बे-400034 में स्थित था, जिसे इसके बाद "कहा गया" कहा गया है।

परिसर "। प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त परिसर के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 का मकान मालिक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 प्रत्यर्थी संख्या 1 के कब्जे वाले क्षेत्र के अलावा उक्त भवन के शेष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 का किरायेदार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की फर्म को अपने जमे हुए भोजन और आइसक्रीम व्यवसाय के लिए 10 लाख गैलन पानी की आवश्यकता थी, जिसकी आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा की जा रही थी।

अक्टूबर, 1983 तक 10 लाख गैलन पानी) का निश्चित कोटा। 29 अक्टूबर, 1983 को प्रतिवादी संख्या 1 के कारखाने में श्रमिकों द्वारा एक अवैध हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके कारण प्रबंधन द्वारा कारखाने में उत्पादन कार्य को निलंबित कर दिया गया था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखा

अपीलार्थी को 2 फरवरी, 1987 और 15 अक्टूबर, 1987 को आवंटित जल कोटे को बंद करने और फिर उनसे वास्तविक खपत के आधार पर शुल्क लेने का अनुरोध करते हुए, क्योंकि उत्पादन बंद होने के कारण उन्हें अब बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, 15 अक्टूबर, 1987 को एक नया जल मीटर लगाया गया। बाद में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 27 जनवरी, 1992 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कंपनी के अनुरोध पर उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अंततः यह 25 अक्टूबर, 1993 को किया गया। तब से, प्रतिवादी संख्या 1 निजी पानी के टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति पर निर्भर है।

3. तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को दिनांक 10 दिसंबर, 1993 के पत्र के माध्यम से लिखा कि चूंकि जल कनेक्शन

जल विभाग द्वारा परिसर को बाधित/काट दिया गया है और उसने तब तक सभी बकाया राशि Rs.46,794/- (केवल छियालिस हजार सात सौ 94 रुपये) का भुगतान करने के बाद, अपीलार्थी को एक नया जल मीटर स्थापित करना चाहिए। इस पत्र की प्राप्ति पर, अपीलार्थी ने रुपये जमा करने की माँग की। 72,000 / - (एक नए जल मीटर के अनुरोध को संसाधित करने के लिए केवल 72 हजार रुपये)।

तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने [2019] 13 एस. सी. आर. के आधार पर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया।

कारखाना बंद होने के कारण वित्तीय संकट। प्रत्यर्थी संख्या 1

इसके बदले में अपीलार्थी से 5,000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) की किश्तों में जमा राशि स्वीकार करने का अनुरोध किया गया, जिसे अपीलार्थी ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए 25 अक्टूबर, 1993 से प्रतिवादी संख्या 1 के परिसर में पानी का कनेक्शन/मीटर नहीं था।

4. इसके बाद 1997 में अपीलार्थी ने 1 अक्टूबर, 1993 से जल लाभ कर सहित अवधि के लिए बिल जुटाना शुरू कर दिया।

विषय परिसर का सम्मान। जनवरी, 1997 में, पानी के सात बिल

उक्त भवन के संबंध में कर और जल लाभ कर (1 अक्टूबर, 1993 से 30 सितंबर, 1998 की अवधि के लिए) कुल मिलाकर 60,312/- (केवल दस लाख साठ हजार तीन सौ बारह रुपये) बढ़ा दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने विरोध में बिल के अपने हिस्से का भुगतान किया लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सलाह पर बिल के अपने पुरोटा हिस्से का भुगतान करने से इनकार कर दिया।

5. परिणामस्वरूप, 5 अगस्त, 1998 को अपीलार्थी ने कुर्की का वारंट जारी किया और उक्त परिसर पर कुर्की की और

उक्त कर के बकाया के लिए ₹1/- (नौ लाख ग्यारह हजार सात सौ आठ रुपये केवल) और ₹2/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तीन रुपये केवल) का अतिरिक्त जुर्माना। इस प्रकार, कुल मांग उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ Rs.10,60,312/- (दस लाख साठ हजार तीन सौ बारह रुपये केवल) के लिए थी। इसके अलावा, अपीलार्थी के कानूनी विभाग द्वारा 18 नवंबर, 1999 को जारी पत्र के माध्यम से, उत्तरदाताओं को सूचित किया गया था कि यदि करों के बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा किए गए परिसरों से संबंधित सार्वजनिक नीलामी का विज्ञापन करने के लिए आगे बढ़ेगा।

6. पीड़ित होने के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिट याचिका संख्या 1206 दायर की

अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बिलों और मांग को रद्द करने/अलग करने के लिए बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 का आदेश और राशि की वसूली के लिए 5 अगस्त, 1998 का अटैचमेंट वारंट। उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर, 2006 के विवादित आदेश के माध्यम से 5 अगस्त, 1998 के कुर्की के वारंट के साथ बिलों/मांगों को रद्द करने और खारिज करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके लिए, उच्च न्यायालय ने भरोसा किया

ग्रेटर के नगर निगम में इस न्यायालय का निर्णय

बॉम्बे बनाम एम/एस। नागपाल प्रिंटिंग मिल्स और अन्य 1. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निगम केवल उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले और उपभोग किए जाने वाले पानी के संबंध में शुल्क लगा सकता है और इसके आधार पर लगाया जा सकता है -

1 1 (1988) 2 एस. सी. सी. 466 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

माप या अनुमानित माप। इसने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि 25 अक्टूबर, 1993 से परिसर में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई खपत नहीं की गई थी और इसलिए वे किसी भी जल शुल्क या कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे, जैसा भी मामला हो।

7. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर लिए गए दृष्टिकोण की आलोचना की है कि विचाराधीन मांग में संपत्ति कर के प्रति थी।

जल लाभ कर का रूप और अधिनियम की धारा 169 के तहत मांग के लिए संदर्भित नहीं है। किसी कर के मामले में, जो अधिनियम की धारा 139 और 140 के लिए विहित है, यह अनिवार्य अधिरोपण की प्रकृति में है या आम जनता की भलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला शुल्क। यदि यह वास्तव में उपयोग किए जाने वाले पानी के लिए शुल्क की मांग होती, तो यह अधिनियम की धारा 169 के दायरे में आता। उस मामले में ही यह वास्तव में खपत किए गए पानी की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। यदि उपभोक्ता निगम द्वारा दी गई जल आपूर्ति सुविधा का लाभ उठाता है, तो देयता जल कर के बदले शुल्क के प्रति होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 169 और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् प्रासंगिक समय पर लागू जल शुल्क नियमों में बताया गया है। वर्तमान मामले में, विवाद प्रत्यर्थी संख्या 2 (मालिक) के परिसर के संबंध में जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर के लिए अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बिलों से संबंधित है और जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 किरायेदार है।

8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जल कर या जल लाभ कर एक संपत्ति है।

कर और अधिनियम की धारा 154 में निर्धारित भूमि या भवन के दर योग्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि ऐसा कर उन परिसरों के संबंध में लगाया जाएगा (i) जिनसे निजी जल आपूर्ति की जाती है या (ii) जो किसी भी नगरपालिका जल कार्यों के साथ संचार पाइप के माध्यम से जुड़े होते हैं। वर्तमान मामले में, भले ही पानी का कनेक्शन काट दिया गया था

25 अक्टूबर, 1993 में, विचाराधीन परिसर अभी भी नगरपालिका के जल कार्यों के साथ संचार पाइप के माध्यम से जुड़े हुए थे। द.

"संचार पाइप" शब्द को अधिनियम की धारा 260 ए (ए) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक पाइप जो नगरपालिका के पानी के मुख्य भाग से लेकर नगरपालिका के स्टॉप-मुर्गा तक फैली हुई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 141 के तहत जल लाभ कर के लिए प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गई मांग न्यायसंगत और उचित थी। यह धारा 169 के तहत आरोपों की वसूली नहीं थी। अधिनियम के अनुसार, जो उपभोग किए गए पानी की मात्रा तक सीमित हो सकता है। यदि प्रत्यर्थियों ने विचाराधीन परिसर को जोड़ने वाले संचार पाइपों के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का उपभोग करना जारी रखा होता, तो वे केवल जल शुल्क [2019] 13 एस. सी. आर. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते।

जल का उपभोग करने और 25 अक्टूबर, 1993 को जल कनेक्शन काटने के अधिनियम द्वारा, परिसर से जुड़े संचार पाइपों को जारी रखते हुए, उत्तरदाता अधिनियम की धारा 141 के तहत जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए। 9. यह तर्क दिया जाता है कि विचाराधीन प्रावधानों की योजना और एक ओर अधिनियम की धारा 140,141 और 142 की परस्पर क्रिया और दूसरी ओर धारा 160 और 169, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुमेर बिल्डर्स बनाम नगरपालिका मामले में अपने हाल के फैसले में कहा है।

बृहन्मुंबई निगम 2 ने कहा कि अधिनियम की धारा 169 के तहत वसूल किए गए जल शुल्क धारा के तहत जल कर या जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर की मांग का पर्याय नहीं हैं।

141 अधिनियम से। अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए आधार को मजबूत करने के लिए उक्त निर्णय में स्पष्टीकरण को अपनाएगा। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलती से नागपाल पर भरोसा किया

प्रिंटिंग मिल्स (ऊपर) हालांकि यह व्याख्या से संबंधित मामला था

10. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विशेष रूप से इस प्रभाव के लिए प्रचार किए गए तर्क का भी विरोध किया है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई मांग पूर्वव्यापी प्रकृति की होने के कारण अमान्य थी। अपीलार्थी के अनुसार, कल्याण नगर परिषद और अन्य बनाम उषा पेपर प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य 3 के साथ-साथ हुबली शहर के नगर निगम बनाम सुभा राव हनुमथाराव में निर्णय। प्रयाग और अन्य ने मूल्यांकन सूची में परिवर्तन के बाद संपत्ति कर लगाने और मूल्यांकन सूची के प्रमाणीकरण के बाद कर लगाने की शक्ति के बारे में बात की। अपीलार्थी के अनुसार, इन निर्णयों का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि, यह रिट याचिका के आधार (घ) में ली गई एकल याचिका पर आधारित है कि जल लाभ कर की मांग 10 जनवरी, 1994 से पहले की अवधि के लिए है और सीमा द्वारा वर्जित है। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका में कोई भौतिक तथ्य नहीं बताया गया है।

2 2012 (114) बीओएम। एल. आर. 3400 3 (1988) 3 एस. सी. सी. 303 4 (1976) 4 एस. सी. सी. 830 नगरपालिका निगम।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायालय ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई मांग सीमा अवधि की समाप्ति के बाद थी, जो मूल्यांकन सूची में परिवर्तन या मूल्यांकन सूची के प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप थी, जैसा भी मामला हो। उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया था कि मूल्यांकन सूची का प्रमाणीकरण जनवरी 1997 में विवादित मांग नोटिस जारी होने से 3 (तीन) साल पहले हुआ था। मान लीजिए, जनवरी 1997 में जारी किए गए जल लाभ कर बकाया के रूप में संपत्ति कर की मांग आधिकारिक वर्ष 1993-94 (1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994) के लिए थी। यही कारण है कि जनवरी, 1997 में उठाई गई मांग केवल वापस जा रही है। 1 अक्टूबर, 1993 तक को सीमा द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी आग्रह करेगा कि विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाए और अपीलार्थी को विवादित मांग सूचनाओं और संलग्नक के वारंट को लागू करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए।

11. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि मांग कुछ और नहीं बल्कि धारा 169 के तहत वसूली योग्य जल शुल्क थी।

एक्ट करें। यह उत्तरदाताओं द्वारा आपूर्ति और खपत किए गए पानी की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए था। मान लीजिए, 25 अक्टूबर, 1993 को पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद, परिसर में पानी की आपूर्ति जारी नहीं रखी गई थी। यही कारण था कि निगम के लिए कोई शुल्क लगाने की अनुमति नहीं थी, चाहे वह जल कर के नाम पर हो या जल शुल्क के नाम पर। यह आग्रह किया जाता है कि मांग कुछ और नहीं बल्कि परिसर में पानी की आपूर्ति के लिए जल शुल्क है न कि कर की प्रकृति में। कर के मामले में भी, निगम परिसर में पानी की आपूर्ति के अभाव में इसकी वसूली नहीं कर सकता है, जो वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, 25 अक्टूबर, 1993 से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। यह आग्रह किया जाता है कि नागपाल प्रिंटिंग मिल्स (उपरोक्त) में अंतर्निहित सिद्धांत पूरी तरह से लागू होगा, जैसा कि जल कर के संबंध में अधिनियम की धारा 169 पर लागू होता है।

12. इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी मामले में, विवादित मांग नोटिस को सीमा से रोक दिया गया था और संपत्ति के लेवी का अपरिहार्य प्रभाव पड़ा था

विचाराधीन परिसर पर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कर। उत्तरदाता परिभाषित 'आधिकारिक वर्ष' शब्द की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे।

अधिनियम और धारा 156,160,163,165,166,168 और 169 की अंतःक्रिया में यह तर्क देने के लिए कि आयुक्त को मूल्यांकन तैयार करने की आवश्यकता है

हुबली नगर निगम (ऊपर) में यह न्यायालय और कल्याण नगर परिषद (ऊपर) इस तर्क को पुष्ट करे।

आग्रह किया कि यह माना जाना चाहिए कि आधिकारिक वर्ष 1993-94 के लिए, मूल्यांकन पुस्तक को अंतिम रूप दिया गया था और निर्धारित समय के भीतर आधिकारिक कार्य के नियत समय में प्रमाणित किया गया था। हालांकि, विशेष रूप से संबंधित वर्षों के लिए मूल्यांकन पुस्तिका को अंतिम रूप देने के बावजूद कोई मांग नहीं की गई

1 अक्टूबर, 1993 से शुरू होकर, तीन साल की समाप्ति के बाद, सीमा द्वारा वर्जित हैं। अपीलार्थी को ऐसी कोई भी मांग उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो स्वाभाविक रूप से सीमा द्वारा वर्जित हो। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को विवादित मांग नोटिसों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से पूर्वव्यापी शुल्क को वैध ठहराया जा सकता है, जो कि नहीं हो सकता है

मुखरता से। वास्तव में, यह माना जाना चाहिए कि जनवरी, 1997 तक आधिकारिक वर्ष के लिए जल करों को मूल्यांकन पुस्तिका में कभी नहीं दिखाया गया था। इस न्यायालय के भरोसेमंद निर्णयों में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, विवादित मांग नोटिसों को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को केवल इसी आधार पर बरकरार रखा जाना चाहिए।

13. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही प्रतिवादी इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के लिए मनाने में विफल रहे, लेकिन न्यायालय

नियंत्रण मामला इस न्यायालय में लंबित रहा था, जो विलंब उत्तरदाताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह आग्रह किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया होता, तो उनके पास बहुत पहले बकाया राशि का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि उत्तरदाताओं को मूल राशि पर ब्याज के दायित्व से मुक्त किया जाए। अन्य प्रत्यर्थियों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अपनाए गए तर्क को अपनाया है।
14. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल वाई. चिताले और प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध जोशी को सुना है।

(प्रत्यर्थी संख्या 1), प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार राय और प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए श्री आशीष वाड।

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन। ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

15. मुख्य मुद्दा यह है कि क्याः आक्षेपित सूचनाओं को शैलीबद्ध किया जा सकता है

जल लाभ कर के रूप में जल शुल्क की मांग या जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर की मांग। इसका जवाब दिया जा सकता है

आक्षेपित मांग सूचनाओं (अनुलग्नक आर-5 सामूहिक रूप से) पर ध्यान केंद्रित करना। आधिकारिक वर्ष 1993-94 से संबंधित ऐसी किसी सूचना को पुनः प्रस्तुत करना उचित हो सकता है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

बृहन्मुंबई महानगर पालिका भुगतान तिथि प्रभाग। भुगतान सूचना राशि भुगतान राशि

कर निर्धारण भुगतान के बाद विभाग की रसीद

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नकद/चेक प्राप्त हुआ

बिल कोई संपत्ति कर वर्ष अवधि तिथि इस तिथि को शेष राशि

डी-22-0756-00-4 1993-94 9321 10.01.1997

प्रभाग संख्या

सड़क संख्या, सड़क का नाम, संपत्ति का पता

डी 3907 (2 डीए)

11 ए. ई. ए. क्लर्क रोड, हाउस ऑफ शैखली चैंबर्स

बृहन्मुंबई महानगर पालिका लेसी वलीमहमद गुलाम हुसैन बादामिया शेर बानो डब्ल्यू. डी./गुलमहुसेन बादामिया मिहमदुसेन गुलमहुसेन बादीमा और आज़ाद गुलामहुसेन बादामीया

अवधि दर योग्य मूल्य कर कटौती आवासीय दर योग्य मूल्य गैर-आवासीय दर योग्य मूल्य भुगतान संख्या

01.10.93-31.03.94 385185

0

0

385185

सामान्य कर (रु.) जल कर (रु.) जल लाभ कर सीवरेज कर सीवरेज शिक्षा राज्य शिक्षा। रोजगार वृक्ष सड़क कर (रु.) (रु.) लाभ कर (रु.) उपकर (रु.) उपकर गारंटी उपकर (रु.) (रु.)

15 % एनआर

45 % एनआर

75484

25161

कुल राशि (रु.) इस अवधि में भुगतान की गई पहली कराधान तिथि अब देय है

आर-आवासीय दर योग्य मूल्य

ए

सडी /

एन. आर.-गैर-आवासीय दर मूल्य

पी. बी. जनवलकर

निर्धार

क कलेक्टर

100645

16. बाद के आधिकारिक वर्षों के लिए विवादित मांग नोटिस

संबंधित आधिकारिक वर्ष के लिए लागू आंकड़ों में भिन्नता को छोड़कर कमोबेश समान हैं।

17. इन मांग नोटिसों के अवलोकन पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है

कि मांग जल लाभ कर और मलजल निकासी लाभ कर के रूप में संपत्ति कर के लिए है। यह अधिनियम की धारा 169 के अनुसार जल शुल्क के भुगतान के लिए कोई सूचना नहीं है।

18. जल कर और जल लाभ कर की अवधारणा और

जल शुल्क गुणात्मक रूप से अलग है। अपनी प्रकृति से, पूर्व को अधिनियम की धारा 140 के संदर्भ में, उसकी उप-धारा 1 (ए) (आई) और (आई) में संपत्ति कर का हिस्सा बनाया गया है। धारा 140 इस प्रकार हैः

" 140. मूल्य निर्धारण योग्य मूल्य या पूँजी पर देय संपत्ति कर

मूल्य, जैसा भी मामला हो, और किस दर पर।

मूल्य, या उनका पूंजी मूल्य, जैसा भी मामला हो, स्थायी समिति जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक मान सकती है; ((ख) एक अतिरिक्त जल कर जिसे 'जल लाभ कर' कहा जाएगा, जो उनके दर योग्य मूल्य या उनके पूंजी मूल्य के इतने प्रतिशत का होगा, जैसा कि स्थायी समिति जल आपूर्ति की सुविधाओं को बनाने और सुधारने और ऐसे कार्यों के रखरखाव और संचालन के लिए पूंजी कार्यों पर किए गए पूरे या कुछ हिस्से के खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

बशर्ते कि सभी या किसी भी संपत्ति कर को स्नातक पैमाने पर लगाया जा सकता है। (ख) (i) उनके दर के इतने प्रतिशत का मलजल निकासी कर

मूल्य, या उनका पूंजी मूल्य, जैसा भी मामला हो, स्थायी समिति संग्रह, हटाने और हटाने के लिए आवश्यक मान सकती है। मानव अपशिष्ट और अन्य अपशिष्टों का निपटान;

((ख) एक अतिरिक्त मलजल निकासी कर जिसे "मलजल निकासी लाभ कर" कहा जाएगा, जो उनके दर योग्य मूल्य या उनके पूंजी मूल्य के इतने प्रतिशत का होगा, जैसा कि स्थायी समिति मानव अपशिष्ट और अन्य कचरे के संग्रह, निष्कासन और निपटान के लिए और ऐसे कार्यों के रखरखाव और संचालन के लिए सुविधाओं को बनाने और सुधारने के लिए पूंजी कार्यों पर किए गए पूरे या एक हिस्से के खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक समझती है।

उनके पूंजी मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक, जैसा भी मामला हो, उनके दर योग्य मूल्य के एक-आठवें से कम नहीं और पांच प्रतिशत से अधिक नहीं या 0.01 से कम नहीं और उनके पूंजी मूल्य के 0.20 प्रतिशत से अधिक नहीं, साथ में जोड़ा जाता है, ताकि आवश्यक व्यय का प्रावधान किया जा सके। धारा 61 के खंड (के) और अध्याय XIV; UNICIPAL CORPN के तहत उत्पन्न निगम के कर्तव्यों को पूरा करना।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. हरीश लाम्बाफ बॉम्बे, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" बशर्ते कि निगम देय संपत्ति कर नहीं लगाएगा।

जिसका कालीन क्षेत्र 46.45 वर्ग है। मीटर (500 वर्ग फुट) या उससे कम। स्पष्टीकरण। – उपरोक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए, अवधि

" कालीन क्षेत्र वाले आवासीय भवन या आवासीय घर 46.45 वर्ग का। मीटर (500 वर्ग फुट) या उससे कम का अर्थ है आवासीय

आने की तारीख को मौजूद इमारतें या आवासीय घर मुंबई नगर निगम (संशोधन)

अधिनियम, 2019, जिसका कालीन क्षेत्र 46.45 वर्ग कि. मी. है। मीटर (500 वर्ग फुट) या कम और नगरपालिका रिकॉर्ड में इस तरह के क्षेत्र के साथ दर्ज किया गया

1 जनवरी 2019 या जिसके संबंध में कब्जा करने की अनुमति है

निगम द्वारा ऐसे क्षेत्र की अनुमति दी गई है उक्त अधिनियम के लागू होने की ऐसी तारीख के बाद कब्जा कर लिया गया। .

शिक्षा उपकर

या हलालखोर कर बॉम्बे की शुरुआत के बाद लगेगा। नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1973

जल कर या जल लाभ कर के संदर्भ के रूप में समझा गया

या दोनों, या सीवरेज कर या सीवरेज लाभ कर, या दोनों जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है।

(जोर दिया गया)

धारा 141 का विज्ञापन करना उपयोगी हो सकता है, जो शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

निर्धारित परिसरों से संबंधित कर और जल लाभ कर। द.

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 141. किस परिसर पर जल कर लगाया जाना है।

(1) धारा 169 के प्रावधानों के अधीन, जल कर होगा -

केवल परिसर के संबंध में लगाया गया

((क) जिनसे निजी जल आपूर्ति की जाती है या जिनसे

संचार पाइपों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी भी नगरपालिका जल कार्य; या

(ख) जो बृहन्मुंबई के एक हिस्से में स्थित हैं जिसमें

आयुक्त ने सार्वजनिक सूचना दी है कि पर्याप्त पानी [2019] 13 एस. सी. आर. है।

उक्त भाग में सभी परिसरों को उचित आपूर्ति प्रदान करने के लिए नगरपालिका जल कार्यों से उपलब्ध है।

(2) धारा 169 के प्रावधानों के अधीन, जल लाभ कर में स्थित सभी परिसरों के संबंध में लगाया जाएगा।

वाणिज्य दूत, वाणिज्य दूत, वाणिज्य दूत या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी राज्य के किसी अन्य नाम से, या ऐसे अधिकारियों के कर्मचारियों के किसी सदस्य (जो भारत के नागरिक नहीं हैं), और ऐसे भवन और भूमि या भाग जिनका उपयोग लाभ के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है या जिनका उपयोग करने का इरादा है।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार जल लाभ कर निर्धारित प्रति प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है। यथास्थिति, विनिर्दिष्ट परिसर के दर योग्य मूल्य या उसके पूँजी मूल्य का। हालाँकि, जल लाभ कर की वसूली को संपत्ति कर होने के कारण अधिनियम की धारा 169 के अधीन कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 169 इस प्रकार हैः

" 169. जल करों और शुल्कों के नियम।

(1) धारा 128 में किसी बात के होते हुए भी, स्थायी समिति समय-समय पर ऐसे नियम बनाएगी जो पानी की आपूर्ति के लिए और पानी की आपूर्ति के लिए और अध्याय 10 के तहत निगम द्वारा प्रदान की गई किसी भी फिटिंग, फिक्स्चर या सेवाओं के लिए आवश्यक होंगे और ऐसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा - ((i) जल कर द्वारा जल की आपूर्ति के लिए शुल्क और दर योग्य मूल्य या पूंजी मूल्य के प्रतिशत की धारा 140 के तहत लगाया गया जल लाभ कर, जैसा भी मामला हो।

जल की आपूर्ति के साथ प्रदान की गई किसी भी संपत्ति का हो; या

((ख) आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के माप या अनुमानित माप के आधार पर जल कर के बदले में जल शुल्क; या

((iv) खंडों के अधीन प्रभारों के बदले में एक चक्रवृद्धि प्रभार ((i) और (ii)।

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन। ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(2) एक व्यक्ति जिससे खंड (ii) के तहत पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क लिया जाता है।

या (iv) उप-धारा (1) के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

जल कर, लेकिन उसके द्वारा देय कोई भी राशि और जब उसका भुगतान नहीं किया जाता है देय हो जाता है आयुक्त द्वारा वसूली योग्य होगा जैसे कि यह

संपत्ति कर का बकाया था।

(3) धारा 146 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जल

कर और शुल्क मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति से वसूल किए जाने योग्य होंगे।

वास्तव में परिसर पर कब्जा करने वाले लोग।

(जोर दिया गया)

19. धारा 169 एक सक्षम प्रावधान है जो

स्थायी समिति पानी की आपूर्ति और शुल्क के लिए नियम बनाएगी

पानी की आपूर्ति और किसी भी फिटिंग, फिक्स्चर या प्रदान की गई सेवाओं के लिए

निगम द्वारा। इस तरह के शुल्क किस हद तक लगाए जा सकते हैं, यह अधिनियम की धारा 169 में वर्णित किया गया है। इस प्रावधान में शुल्क लगाने की परिकल्पना की गई है।

जल की आपूर्ति के लिए शुल्क और आगे कि यदि ऐसी आपूर्ति

अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्धारित कर (जल कर/जल लाभ कर) के बदले में जल शुल्क लगाया जाना चाहिए। स्वीकार करते हुए, जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर का भुगतान करने का प्राथमिक दायित्व है -

सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए पूंजीगत कार्यों पर किए गए या किए जाने वाले पूरे या हिस्से के खर्च को पूरा करने के साथ सह-व्यापक

जल आपूर्ति और अधिनियम की धारा 140 और 141 के संदर्भ में ऐसे कार्यों के रखरखाव और संचालन के लिए, जैसा भी मामला हो। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर संपत्ति कर लागू होता है। इसके लिए अधिनियम की धारा 140 और 141 के साथ पठित धारा 139 में। इस तरह के लेवी की सीमा अधिनियम की धारा 140 और 141 में भी निर्धारित की गई है।

यह एक अनिवार्य अधिरोपण है।

20. यदि यह एक अनिवार्य अधिरोपण है, तो तथ्य यह है कि पानी डी है

इमारत में रहने वालों या मालिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तथ्य महत्वहीन हो जाता है। यह आय पर कर नहीं है जहां लेवी आय से जुड़ी होती है।

हम संपत्ति कर से संबंधित हैं, जो निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में देय हो जाता है। जल कर या जल लाभ कर, कानून में, एक संपत्ति कर है और विधायिका द्वारा संपत्ति कर के घटक के रूप में वर्णित किया गया है। वह मालिक/रहने वाले के रूप में जल्द ही देय हो जाता है।

परिसर का सदस्य निर्धारित तरीके से अपने परिसर में पानी के कनेक्शन का लाभ उठाने की स्थिति में है। अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में वह दायित्व अपरिहार्य है, भले ही पानी की आपूर्ति/पानी का मीटर बाद में चालू हो। डिस्कनेक्ट हो गया।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. वास्तव में, पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर को काटने के मामले में निगम धारा 169 के तहत पानी शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है।

एक्ट करें। कारण, संबंधित परिसरों में संचार पाइप या नगरपालिका जल कार्यों के कनेक्शन से वास्तव में आपूर्ति और खपत किए गए पानी की मात्रा के अनुरूप जल शुल्क की वसूली की जा सकती है।

22. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर लौटते हुए, हम अपीलार्थी से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत तरीके से लागू किया है।

नागपाल प्रिंटिंग मिल्स (ऊपर) ने गलती से यह मानते हुए कि वर्तमान मामला भी अधिनियम की धारा 169 के लिए संदर्भित 'जल शुल्क' लगाने का मामला था। उच्च न्यायालय ने इस भेद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया

एक ओर जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर की अवधारणा और दूसरी ओर पानी की मात्रा के संबंध में जल शुल्क

वास्तव में दूसरी ओर खाया जाता है। पहले मामले में, एक संपत्ति कर होने के नाते, संबंधित परिसरों में आपूर्ति और खपत किए गए पानी की मात्रा की परवाह किए बिना समान उपार्जित राशि का भुगतान करना एक अनिवार्य अधिरोपण और दायित्व है। वह देयता अधिनियम की धारा 139 के साथ 140 और 141 से प्रवाहित होती है। देय कर की मात्रा समय-समय पर स्थायी समिति द्वारा परिसर के दर योग्य मूल्य या उसके पूंजी मूल्य के प्रति प्रतिशत के आधार पर निर्दिष्ट की जाती है। आक्षेपित मांग नोटिस, प्रत्यक्ष रूप से, अधिनियम की धारा 141 के लिए उत्तरदायी हैं। इसे किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 169 के तहत जारी किए जाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

23. यदि यह अधिनियम की धारा 169 के तहत मांग का मामला होता, तो नागपाल प्रिंटिंग मिल्स (ऊपर) में वर्णित सिद्धांत आता।

खेलने में। हम अपीलार्थी से सहमत हैं कि नागपाल प्रिंटिंग मिल्स (उपरोक्त) में निर्णय अधिनियम की धारा 169 के तहत बनाए गए जल शुल्क नियमों के नियम (3) (डी) (1) की व्याख्या के संदर्भ में है। सिद्धांत में कहा गया है

उस निर्णय में, इसलिए, जल कर या जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर के प्रति मांग नोटिस (ओं) के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है।

साथ पठित धारा 139 के आधार पर परिसर के संबंध में देय

अधिनियम की धारा 140 और 141। अपीलार्थी ने सुमेर बिल्डर्स (उपरोक्त) मामले में बंबई उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण पर न्यायसंगत रूप से भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 7. उपरोक्त प्रावधानों और धाराओं का संयुक्त अध्ययन और

170 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लगाए गए दो करों और शुल्कों को समझने की आवश्यकता है। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 140 में यू. एन. आई. सी. आई. पी. ए. एल. निगम का उल्लेख है।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. हरीश लाम्बाफ बॉम्बे, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संपत्ति करों के विभिन्न घटक। इनमें जल कर, जल लाभ कर, सीवरेज कर, सीवरेज लाभ कर, सामान्य कर, शिक्षा उपकर, सड़क कर और बेहतरी शुल्क शामिल हैं। जल कर/मलजल निकासी कर और जल लाभ/मलजल निकासी लाभ कर की मात्रा उस संपत्ति के दर योग्य मूल्य के निश्चित प्रतिशत से निर्धारित की जाती है जिस पर संपत्ति कर लगाया जाना है। किसी भी संपत्ति का दर योग्य मूल्य धारा 154 के तहत निर्धारित किया जाना है एम एम सी अधिनियम। जैसा कि उस प्रावधान में कहा गया है, दर मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक हैं (i) भूमि की प्रकृति और प्रकार और भवन की संरचना, (ii) भवन की भूमि या कालीन क्षेत्र का क्षेत्र, (iii) संपत्ति के उपयोग की विभिन्न श्रेणियां, (iv) भवन की आयु और (v) ऐसे अन्य कारक जोः

प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि पानी/सीवरेज कर संपत्ति के साथ चलते हैं, चाहे उस पर निर्माण किया गया हो या नहीं, यह भी कि वास्तविक उपयोग में लाया गया हो या नहीं। यहाँ तक कि भूमि का एक खुला टुकड़ा भी संपत्ति कर के अधीन है, जिसके घटकों में जल/मलजल निकासी कर, जल लाभ/मलजल निकासी लाभ कर शामिल हैं। धारा 141 और धारा 142, हालांकि केवल

जल/सीवरेज कर, इस प्रकार, यह स्पष्ट करते हैं कि वे धारा 169 और 170 के प्रावधानों के अधीन हैं।

क्रमशः। इसलिए, धारा 169 और 170, नियंत्रक धाराएं सबसे अधिक प्रासंगिक प्रावधान होंगी। वे जल/मलजल निकासी करों और जल/मलजल निकासी शुल्कों के लिए नियमों का प्रावधान करते हैं और शुल्क निर्धारित करते हैं। वे नगरपालिका की स्थायी समिति को ऐसे नियम बनाने का अधिकार देते हैं जो इसके लिए आवश्यक हो सकते हैं - पानी आदि की आपूर्ति के लिए आपूर्ति और शुल्क के लिए, और मानव अपशिष्ट, प्रदूषित पदार्थों, अपशिष्टों आदि को हटाने की सेवा की आपूर्ति के लिए। धारा 169 और 170 शुल्क के भुगतान के चार तरीकों का प्रावधान करती हैं। पहला तरीका धारा 140 के तहत पानी/सीवरेज कर और पानी/सीवरेज लाभ कर का भुगतान दर योग्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में करना है। दूसरा।

माप या अनुमानित के आधार पर जल/मलजल निकासी कर के बदले में जल/मलजल निकासी शुल्क का भुगतान किया जाता है। आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा या परिसर से छोड़े गए पानी की मात्रा का मापन।

विधियाँ अर्थात करों के बदले में भुगतान की जाने वाली एक निश्चित राशि और शुल्क लेते हैं। ये तरीके, विशेष रूप से पहले और दूसरे

जल/मलजल निकासी करों का पर्याय नहीं है और कोई नहीं है एक के लिए दूसरे को भ्रमित करने की गुंजाइश। इसलिए, मैं पाता हूँ

श्री पाकले के प्रस्तुतिकरण में सार है कि भले ही कोई नहीं है

संपत्ति को दी गई जल आपूर्ति जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है

नगर पालिका द्वारा बरामद किया गया, भुगतान से कोई बचाव नहीं है संपत्ति के मालिक द्वारा जल करों/मलजल निकासी करों का, जो है

यह पूरी तरह से निर्धारित संपत्ति के दर योग्य मूल्य पर निर्भर करता है।

(जोर दिया गया)

24. यह कहने के बाद, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने गलत पढ़ा

आक्षेपित मांग नोटिस अधिनियम की धारा 169 के तहत होने के रूप में, जब वास्तव में वे अधिनियम की धारा 140 और 141 के साथ पठित धारा 139 के तहत जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर की वसूली के लिए थे। इस तरह के कर का भुगतान करने का दायित्व पानी की आपूर्ति/पानी के मीटर के डिस्कनेक्शन के बावजूद उत्पन्न होता है, जिसमें करों का भुगतान न करने के कारण भी शामिल है।

एक अनिवार्य अधिरोपण होना। हालांकि, यदि परिसर के मालिक/रहने वाले को संचार पाइप या नगरपालिका जल कार्यों के माध्यम से कनेक्शन के माध्यम से परिसर को उपलब्ध कराई गई जल आपूर्ति सुविधा का उपयोग करना था, तो दायित्व केवल पानी के शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिनियम की धारा 169 और विशेष रूप से उसकी उप-धारा (2) के आधार पर जल कर या जल लाभ कर के रूप में संपत्ति कर के बदले में उपभोग किया जाता है।

25. यह हमें उत्तरदाताओं के अगले अनुरोध पर ले जाता है

10 जनवरी, 1994 से पहले की अवधि के लिए मांग, यानी 1 अक्टूबर, 1993 से 9 जनवरी, 1994 तक, सीमा द्वारा वर्जित है। यह भी आग्रह किया जाता है कि विवादित मांग नोटिसों में पूर्वव्यापी रूप से कर लगाने की आवश्यकता होती है। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य में उसी उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करके न्यायसंगत रूप से खारिज कर दिया है। इसी तरह से

स्थिति, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थीः

5 मनु/एम. एच./0667/2004-2005 (1) बम। सी. आर. 296,2005 (107 (1)) BOM.L.R. 271,2004 (4) Mh.L.J. 773 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन।

ऑफ ग्रेट मुंबई वी. बॉम्बे के हरीश लाम्बा, भारतीय अभेद्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 7. जहाँ तक पहले विवाद का संबंध है, वहाँ वास्तव में नहीं है

विवाद में योग्यता। उत्तरदाताओं ने कोई आरोप नहीं लगाया है

बिलों की तारीख से पहले की अवधि के लिए बिल जारी करना है। दूसरे शब्दों में बिल उस अवधि के लिए जारी किए जाते हैं जिसके लिए वे

मलजल निकासी कर का अनुमान लगाया जा सकता है या पहले से लगाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। शुल्क/कर देय होने के बाद ही किया जाए और

देय। कर लगाने में पूर्वव्यापीता का मतलब होगा कि एक कानून है

यहाँ। उत्तरदाताओं ने जो कुछ भी किया है वह केवल मांग करना है उन शुल्कों के लिए जो बिल जारी करने से पहले देय हो गए थे।

इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से कर लगाना नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए पहले तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

26. निर्विवाद रूप से, सीमा के आधार पर चुनौती सीमित है

10 जनवरी, 1994 से पहले की अवधि, यानी 1 अक्टूबर, 1993 से 9 जनवरी, 1994 के बीच की अवधि। यह अवधि आधिकारिक वर्ष 1993-94 (1 से) के भीतर आती है।

सेंट

अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994)। इस मायने में, संपत्ति कर की राशि देय हो गई थी और आधिकारिक वर्ष 1993-94 यानी 31 मार्च, 1994 के पूरा होने पर देय हो गई थी। इसलिए, तीन साल की सीमा अवधि 30 मार्च, 1997 को समाप्त हो गई होगी। हालाँकि, विवादित मांग नोटिस 10 जनवरी, 1997 को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका के ज्ञापन के आधार (घ) के अनुसार, विवादित मांग नोटिस (ओं) को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने की चुनौती गुण-दोष से रहित है। विचाराधीन याचिका को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में कोई अन्य दावा नहीं पाया गया है। हमारी राय में, इसलिए, कल्याण नगर परिषद (उपरोक्त) और नगर निगम में इस न्यायालय के निर्णय

हुबली शहर (उपरोक्त) का विचाराधीन मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नतीजतन, विवादित मांग नोटिस (ओं) को सीमित करने या पूर्वव्यापी कर मांग के प्रभाव से रोकने की चुनौती को खारिज कर दिया जाता है।

27. अगला सवाल हैः क्या उत्तरदाताओं को बुलाया जाना चाहिए

आक्षेपित मांग सूचनाओं में बताई गई मूल राशि के विलंबित भुगतान पर वैधानिक ब्याज का भुगतान करना। हम उत्तरदाताओं के प्रस्तुत करने में गुण पाते हैं कि उन्हें वैधानिक [2019] 13 एस. सी. आर. का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त किया जाए।

उच्च न्यायालय के समक्ष और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष सद्भावना से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में उनके द्वारा बिताई गई अवधि के लिए ब्याज। इस प्रकार, इस प्रकार खर्च किया गया समय भुगतान करने में उत्तरदाताओं की निष्क्रियता या उपेक्षा के कारण नहीं है, क्योंकि इसमें काम करने वाले अंतरिम आदेश अधिक हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थियों का पक्ष और यह भी कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित मांग नोटिस को दरकिनार कर दिया गया था। जैसा कि उक्त नोटिसों को इस संदर्भ में पुनर्जीवित किया जाएगा -

इसलिए, इस आदेश के उत्तरदाता न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक न्यायसंगत व्यवस्था के हकदार हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति है

28. अभिलेखों से यह पता चलता है कि विवादित मांग नोटिस 10 जनवरी, 1997 को जारी किए गए थे, जब मूल कर राशि देय हो जाए और तुरंत देय हो जाए। वैधानिक दर पर ब्याज,

इसलिए, उस तारीख से शुरू होगा। हालाँकि, 21 अप्रैल, 1999 को रिट याचिका दायर करने की तारीख से 21 नवंबर, 2006 को उच्च न्यायालय के फैसले तक की अवधि के लिए, ब्याज को वन-आधारित माना जाए। इसी तरह, की लंबित अवधि के दौरान अवधि के लिए

27 अगस्त, 2007 से इस फैसले की घोषणा तक इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका। इन दो अवधियों को छोड़कर, विलंबित भुगतान के लिए उत्तरदाताओं द्वारा देय ब्याज शासी विनियमों में निर्धारित के अनुसार होगा। प्रत्यर्थी आज से तीन महीने के भीतर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करेंगे, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी-निगम आगे बढ़ सकता है।

कानून के अनुसार उत्तरदाताओं के खिलाफ।

6 (2011) 12 एस. सी. सी. 518 (पैराग्राफ संख्या। 12 , 23 , 41 & 42) 7 (1997) 5 एस. सी. सी. 772 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन

29. हमने जो दृष्टिकोण लिया है, उसके लिए ए पर विस्तार करना अनावश्यक है।

अधिनियम की धारा 169 के तहत बनाए गए प्रासंगिक समय पर लागू जल शुल्क नियमों में निहित प्रावधानों की प्रभावकारिता।

30. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

31. सभी लंबित आवेदनों का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी